प्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील क्र. 1340/2015

- आनंद राम पिता भदाऊ राम, जातिः बैगा, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी-नवलपुर, पुलिस थाना जैतपुर, जिलाः शहडोल (म.प्र.), वर्तमान में रेलवे स्टेशन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है।

---अपीलार्थी

बनाम

- छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस थाना तारबहार, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के लिए	:	श्री एस. पी. साहू, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री अली असगर, उप महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल,
माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल

बोर्ड पर प्रदत्त न्यायनिर्णय

24 .08.2023

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

1. दं०प्र०सं० की धारा 374 (2) के तहत यह आपराधिक अपील सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 47/2015 में पारित दिनांकित 04.08.2015 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और उसे ₹500 के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट किया है एवं अर्थदंड के संदाय के व्यतिक्रम में एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डादिष्ट किया है।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि 17.02.2015 को, भारतमाता स्कूल, तारबहार के पास, अपीलार्थी ने छोटु@ओमप्रकाश की गला घोंटकर हत्या कर दी और इस तरह अपराध कारित किया। अभियोजन पक्ष का प्रकरण आगे यह है कि पुलिस स्टेशन तारबहार के पुलिस कांस्टेबल नं. 1233-विनोद कुमार सूर्यवंशी(अभि०सा०-1), दिनांक 17.02.2015 को रात में ड्यूटी पर थे और दोपहर 1 बजे उन्होंने देखा कि अपीलार्थी एक व्यक्ति का शव ले जा रहा था और शव को देखने के बाद उन्होंने अपीलार्थी से पूछताछ की तथा फिर अपीलार्थी ने उन्हें अपना नाम बताया एवं उस व्यक्ति का नाम भी बताया जिसे वह ले जा रहा था और उसका नाम छोटू बताया। उसने यह भी बताया कि वे कबाड़ इकट्ठा करने का काम करते थे और यह भी जानकारी

दी कि उन दोनों ने भारतमाता स्कूल के सामने शराब और नाइट्रा दवा का सेवन किया था और वे वहां सो गए थे तथा कुछ समय बाद उसने देखा कि छोटू के मुंह से झाग निकल रहा था, इसलिए उसने उसे उठाया और उसे सुलाने के लिए दुर्गा पंडाल की ओर जा रहा था। इसके बाद, एम्बुलेंस को बुलाया गया और मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। उपरोक्त के आधार पर, मर्ग सूचना प्रदर्श पी/1 पंजीकृत की गई। प्रदर्श पी/19 और प्रदर्श पी/20 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मरणान्वेषण, प्रदर्श पी/13 के माध्यम से की गई थी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमॉर्टम, डॉ. पी. सी. बनर्जी (अभि०सा०-4) द्वारा किया गया था और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी/11 है जिसमें उन्होंने मृतक की मृत्यु को मानववध माना है जो गला घोंटने के कारण हुई थी। अपीलार्थी के ज्ञापन बयान के अनुसरण में, प्रदर्श पी/17 के अनुसार, उसके कब्जे से स्टील की ढक्कन बरामद की गई थी।

3. उचित अन्वेषण के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध अधिकार क्षेत्र वाले आपराधिक न्यायालय के समक्ष भा०द०सं० की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था और प्रकरण, विधि के अनुसार विचारण और निपटारे के लिए विचारण न्यायालय को उपार्पित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने अपराध का त्यजन किया और यह कहते हुए बचाव में प्रवेश किया कि उसने अपराध कारित नहीं किया है।

4. अपराध साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 8 साक्षियों का परीक्षण किया और 22 दस्तावेजों का प्रदर्शन किया। बचाव पक्ष ने किसी का परीक्षण नहीं किया और न ही किसी दस्तावेज का प्रदर्शन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना के बाद, अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया और उपरोक्तानुसार दण्डादिष्ट किया, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अन्य आपत्तिजनक परिस्थितियों की अनुपस्थिति में अपीलार्थी के कब्जे से शव की बरामदगी से अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था एवं इस तरह अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है।

7. इसके विपरीत, राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और व्यक्त किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने 6 परिस्थितियाँ पाई हैं जो अपीलार्थी के विरुद्ध साबित हुई हैं तथा निर्णय की कंडिका 13 में सूचीबद्ध की गई हैं, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय, अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने में पूरी तरह से न्यायोचित है, इसलिए, अपील खारिज होने योग्य है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, ऊपर दिए गए उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों अवलोकन किया है।

9. विचार के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या मृतक छोटू @ओमप्रकाश की मृत्यु, प्रकृति में मानववध थी?

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने डॉ. पी. सी. बनर्जी द्वारा साबित की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी/11) के आधार पर इस संबंध में एक सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध

साक्ष्य के आधार पर तथ्य का निष्कर्ष है, यह न तो विकृत है और न ही रिकॉर्ड के विपरीत है और हम एतद्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

11. अब, प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी ने प्रश्नाधीन अपराध कारित किया है जिसके लिए विचारण न्यायालय ने आपत्तिजनक साक्ष्य, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा साबित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया गया है, की छानबीन कर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अवलंब लिया है।

12. स्वीकार्यतः, वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक प्रकरण के प्रमाण के पंचशील का गठन करने के लिए पांच सुनहरे सिद्धांतों को **शरद बिरधिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियो द्वारा वर्णित किया गया है, जिसमें कंडिका-153 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:

> "**153.** इस निर्णय के गहन विश्लेषण से दर्शित होता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण को पूर्णतः स्थापित होना कहा जाने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः
>
> (1)जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।
>
> यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने निर्दिष्ट किया था कि संबंधित परिस्थितियाँ आवश्यक रूप से स्थापित 'होनी ही चाहिए या होनी चाहिए' और न कि संभावित रूप से। "संभावित रूप से साबित किये जाने" एवं "आवश्यक रूप से साबित किये जाने" के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक विधिक अंतर भी है जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य{(1973) 2 एससीसी 793} में अभिनिर्धारित किया गया था जहाँ निम्नलिखित निर्धारित किया गया था: [एस. सी. सी. पैरा 19, पृ. 807: एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) पृ. 1047]
>
> 13. निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले आवश्यक रूप से दोषी होना चाहिए और न कि केवल संभावित रूप से तथा 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के मध्य की मानसिक दूरी लंबी है और निश्चयी निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को पृथक करती है।
>
> (2)इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,
>
> (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
>
> (4)उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और (5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह साबित किया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (1984) 4 एससीसी 116

14. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रश्नाधीन अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए छह परिस्थितियाँ पाई हैं। पहली परिस्थिति कि मृतक अपराध की तारीख को अपने पिता के घर नहीं पहुंचा था, बहुत प्रासंगिक नहीं है और इसी तरह अपीलार्थी तथा मृतक दोनों कबाड़ इकट्ठा करने के काम में लगे हुए थे, यह भी बहुत प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, अपराध का हेतुक कबाड़ बेचने के बाद उन्हें प्राप्त धन संबंधित विवाद था, यह भी विनोद कुमार सूर्यवंशी(अभि०सा०-1), पुलिस कांस्टेबल, जिसे अपीलार्थी ने मृतक के बारे में सूचित किया था, के बयान के अलावा बहुत प्रासंगिक नहीं हो सकता है, उस आधार पर, अभियोजन पक्ष द्वारा हेतुक साबित किया गया है, नहीं कहा जा सकता है।

15. अब, दो सबसे अधिक आपत्तिजनक परिस्थितियाँ पाई गई हैं कि मृतक का शव अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया था क्योंकि वह अपने कंधों पर छोटू @ओमप्रकाश (मृतक) को ले जा रहा था और अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में स्टील का ढक्कन बरामद किया गया है जिसका उपयोग मृतक की हत्या के अपराध के लिए किया गया था।

16. स्वीकार्यतः, प्रदर्श पी/17, जिसे राजेश कुमार देवांगन(अभि०सा०-6) द्वारा साबित किया गया है, के अनुसार अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में उससे स्टील ढक्कन जब्त की गई थी, , लेकिन स्टील के ढक्कन पर मानव रक्त के अनुपस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि इसका उपयोग अपीलार्थी द्वारा अपराध करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, मृतक का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर से इस संबंध में कोई क्वेरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि क्या मृतक को लगी चोट अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में उसके कब्जे से बरामद स्टील के ढक्कन के कारण आ सकती है। इस प्रकार, स्टील ढक्कन पर मानव रक्त की अनुपस्थिति और क्वेरी रिपोर्ट के अभाव में, जब्त की गई वस्तुओं की बरामदगी अभियोजन के मामले में अनुपयोगी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. स्वीकार्यतः, अपीलार्थी के कब्जे से मृतक छोटू @ओमप्रकाश का शव बरामद किया गया था जिसे विनोद कुमार सूर्यवंशी(अभि०सा०-1) और राजेश कुमार देवांगन(अभि०सा०-6) द्वारा साबित किया है। उस दृष्टिकोण से, यह सबसे अधिक प्रासंगिक आपत्तिजनक परिस्थिति है जो विचारण न्यायालय द्वारा साबित की गई है और विचारण न्यायालय ने यह भी पाया है कि अपीलार्थी ने विनोद कुमार सूर्यवंशी(अभि०सा०-1), जो पुलिस अधिकारी थे, को न्यायेत्तर संस्वीकृति दी है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 को देखते हुए साक्ष्य में अस्वीकार्य है। हालाँकि, प्रश्न यह है कि क्या केवल अपीलार्थी के कब्जे से शव की बरामदगी द्वारा आवश्यक रूप से हत्या के अपराध का निष्कर्ष निकल पायेगा। **कानबी करसन जादव बनाम गुजरात राज्य{ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 821}** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जिसमें कंडिका-9 और 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

> "9. केवल यह तथ्य कि शव को अपीलार्थी द्वारा इंगित किया गया था या उसके द्वारा दिए गए बयान के परिणामस्वरूप खोजा गया था, आवश्यक रूप से हत्या के अपराध के निष्कर्ष की ओर अग्रसरित नहीं करेगा। लेकिन कुछ अन्य परिस्थितियाँ भी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। अपीलार्थी की निशानदेही पर रक्त के धब्बों वाले बटनों की खोज एक ऐसी परिस्थिति है जो हत्या में अपीलार्थी की संलिप्तता की उपधारणा को दृढ कर सकती है।

"10. इस प्रकार, हमारे पास इकबाली साक्षी के साक्ष्य के अलावा तीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अपीलार्थी को अपराध करने से जोड़ते हैं। उन्होंने मृत शरीर की ओर इशारा किया, मृतक के चांदी के बटनों की ओर इशारा किया जो मानव रक्त से सने हुए थे और एक पनिया (दुपट्टा) पर उसके बालों की उपस्थिति थी, जिस पर मृतक के बाल भी थे। हमारी राय में, यह वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में अपीलार्थी को अपराध करने से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। "

18. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों ने **कांबी करसन जादव** (पूर्वोक्त) में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि अभियुक्त के बयान के अनुसरण में खोजे गए शव से हत्या के अपराध का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जब तक कि आरोपी को लिप्त करने वाली अन्य परिस्थितियां न हों। वर्तमान मामले में, यह पहले ही बताया जा चुका है कि अपीलार्थी को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य आपत्तिजनक परिस्थितियाँ साबित नहीं की गई हैं। निष्कर्षतः, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यद्यपि मृतक छोटू @ ओमप्रकाश की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी और अभियोजन पक्ष ने भी विधिवत साबित कर दिया है कि अपीलार्थी को मृतक के शव को ले जाते हुए पाया गया था, लेकिन अन्य आपत्तिजनक परिस्थितियों के अभाव में, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **कांबी करसन जादव** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया था, विचारण न्यायालय अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराने में सर्वथा अनुचित है। इसलिए, अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त होने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिणामतः, अपीलार्थी पर भा०द०सं० की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उस पर अधिरोपित किये गए दंड को भी एतद्वारा अपास्त किया जाता है। उसे उक्त आरोप से मुक्त किया जाता है। चूँकि अपीलार्थी 18.02.2015 से कारावास में है, हम निर्देश देते हैं कि यदि किसी अन्य मामले/प्रकरण में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए।

20. तदनुसार, यह आपराधिक अपील **मंजूर की जाती है**।

21. मूल अभिलेख और निर्णय की प्रति के साथ इस निर्णय की प्रमाणित प्रति को आवश्यक जानकारी और कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए संबंधित विचारण न्यायालय और संबंधित जेल अधीक्षक को भी प्रेषित किया जाए।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-

(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**